



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20072022-237390
CG-DL-E-20072022-237390

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3089]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 20, 2022/आषाढ़ 29, 1944

No. 3089]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 20, 2022/ASHADHA 29, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2022

का.आ. 3249(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन्स (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 उप धारा (1) के अधीन जारी की गई, भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना जिसका प्रकाशन भारत के राजपत्र संख्या 2984 दिनांक 28 सितम्बर 2020 का.आ. 3343(अ) दिनांक 24 सितम्बर 2020 भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में किया गया है। इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उत्तर प्रदेश राज्य की तहसील—कानपुर सदर, जिला—कानपुर नगर की भूमि में उत्तर प्रदेश राज्य में कांडला (गुजरात) से गोरखपुर (यूपी) तक एलपीजी परिवहन के लिए आई.एच.बी लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित किए जा रहें "कांडला (गुजरात) से गोरखपुर (यूपी) परियोजना" के सम्बन्ध में पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी :

और उक्त राजपत्र अधिसूचनाओं की प्रतियां जनता को तारीख 01 जुलाई 2021 तक उपलब्ध करा दी गई थी।

और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है।

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है:

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के उपयोग का अधिकार अर्जित किया जाए:

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आईएचबी लिमिटेड में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए आई.एच.बी लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामलें पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

तहसील-कानपुर सदर

जिला-कानपुर नगर

राज्य-उत्तर प्रदेश

गाँव का नाम	सर्वे न./गाटा न.	क्षेत्रफल		
		हैक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
गढी कानपुर	159	00	03	13
	158	00	04	40
	178	00	05	02
	177	00	07	14
	176	00	03	25
	175	00	12	61
	173	00	04	97
	172	00	00	27
	171	00	00	27
	135	00	04	34
	137	00	14	99
	152	00	00	41
	145	00	05	54
	144	00	07	81
	143	00	09	21
	141	00	08	14
	140	00	00	28
	117	00	13	28
	116	00	09	30
	115	00	00	70
	111	00	00	16
	105	00	01	49
	कुल	01	16	71
सुजानपुर	54	00	02	29
	47	00	02	27
	46	00	03	14
	45	00	04	92
	44	00	04	21
	43	00	01	45
	42	00	02	03
	41	00	02	30
	40	00	17	21
	24	00	03	45
	23	00	06	27
	20	00	05	70
	14	00	18	29
	16	00	02	64
	17	00	07	20
	26	00	01	23
	कुल	00	84	60

गाँव का नाम	सर्वे न./गाटा न.	क्षेत्रफल		
		हेक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
छीतेपुर	243	00	02	74
	242	00	05	02
	221	00	07	40
	241	00	05	65
	222	00	03	16
	218	00	01	36
	217	00	04	90
	216	00	03	52
	214	00	02	66
	213	00	05	87
	211	00	03	05
	210	00	05	15
	209	00	07	76
	192	00	00	51
	183	00	04	37
	184	00	15	34
	188	00	02	19
	156	00	02	43
	157	00	07	24
	154	00	04	36
	153	00	00	28
	152	00	05	62
	कुल	01	00	58
रामपुर भीमसेन	17	00	08	58
	43	00	10	41
	31	00	11	28
	32	00	04	47
	33	00	01	32
	118	00	00	19
	117	00	00	19
	116	00	05	43
	113	00	00	81
	114	00	09	87
	112	00	00	42
	111	00	05	21
	91	00	00	28
	79	00	05	35
	110	00	00	04
	78	00	07	67
	77	00	00	53
	75	00	06	74
	76	00	05	55
	68	00	00	19
	61	00	06	08
	59	00	24	37
	57	00	18	71
	55	00	06	26
	161	00	10	84
	162	00	00	41
	168	00	06	75

गाँव का नाम	सर्वे न./गाटा न.	क्षेत्रफल		
		हेक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
	170	00	07	94
	171	00	00	41
	173	00	09	17
	174	00	01	06
	656	00	10	92
	658	00	08	84
	659	00	00	21
	663	00	07	33
	661	00	06	01
	666	00	00	24
	668	00	16	48
	667	00	04	83
	674	00	00	22
	675	00	10	60
	673	00	06	03
	676	00	00	25
	678	00	14	45
	679	00	00	22
	683	00	11	67
	684	00	00	31
	685	00	04	53
	686	00	16	86
	741	00	09	41
	738	00	05	72
	740	00	00	31
	742	00	00	30
	749	00	16	38
	751	00	00	33
	753	00	10	27
	754	00	23	21
	562	00	04	05
	561	00	00	85
	980	00	03	46
	981	00	01	35
	984	00	02	78
	986	00	05	37
	987	00	05	15
	989	00	03	01
	991	00	07	97
	992	00	00	46
	993	00	00	27
	994	00	12	35
	1002	00	03	49
	1001	00	10	32
	1019	00	07	29
	1018	00	00	33

गाँव का नाम	सर्वे न./गाटा न.	क्षेत्रफल		
		हेक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
	1017	00	06	71
	1029	00	10	61
	1031	00	01	65
	1030	00	00	62
	कुल	04	50	55

[फा. सं. आर-11025(15)/6/2020-ओआर-I/ई-33882]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th July, 2022

S.O. 3249(E).—Whereas by the notification of The Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Published in the Gazette No 2984 dated 28.09.2020, S.O. No. 3343(E) dated 24.09.2020 Part-II, Section-3, Sub-Section (ii) issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and minerals pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (Hereinafter referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land situated in Tehsil Kanpur Sadar, District Kanpur Nagar in Uttar Pradesh State, specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transportation of LPG from Kandla to Gorakhpur by the IHB Ltd for implementing the Kandla to Gorakhpur LPG Pipeline Project.

And whereas the copies of the said Gazette notification were made available to the public on 01 July 2021.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, has submitted his report Central Government.

And whereas, the Central Government after Considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of the user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user of the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vests on the date of publication of the declaration, in IHB Ltd, free from all encumbrances.

IHB Ltd shall be exclusively liable for any compensation in terms of section 10 of the P & MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to pipeline.

SCHEDULE**TEHSIL : KANPUR SADAR****DISTRICT : KANPUR NAGAR****STATE : UTTAR PRADESH**

Name of Village	Survey No.	Area		
		Hectare	Are	Sqm.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
GADHI KANPUR	159	00	03	13
	158	00	04	40
	178	00	05	02
	177	00	07	14
	176	00	03	25
	175	00	12	61
	173	00	04	97
	172	00	00	27
	171	00	00	27

Name of Village	Survey No.	Area		
		Hectare	Are	Sqm.
	135	00	04	34
	137	00	14	99
	152	00	00	41
	145	00	05	54
	144	00	07	81
	143	00	09	21
	141	00	08	14
	140	00	00	28
	117	00	13	28
	116	00	09	30
	115	00	00	70
	111	00	00	16
	105	00	01	49
	Total	01	16	71
SUJANPUR	54	00	02	29
	47	00	02	27
	46	00	03	14
	45	00	04	92
	44	00	04	21
	43	00	01	45
	42	00	02	03
	41	00	02	30
	40	00	17	21
	24	00	03	45
	23	00	06	27
	20	00	05	70
	14	00	18	29
	16	00	02	64
	17	00	07	20
	26	00	01	23
	Total	00	84	60
CHHITEPUR	243	00	02	74
	242	00	05	02
	221	00	07	40
	241	00	05	65
	222	00	03	16
	218	00	01	36
	217	00	04	90
	216	00	03	52
	214	00	02	66
	213	00	05	87
	211	00	03	05
	210	00	05	15
	209	00	07	76
	192	00	00	51
	183	00	04	37

Name of Village	Survey No.	Area		
		Hectare	Are	Sqm.
	184	00	15	34
	188	00	02	19
	156	00	02	43
	157	00	07	24
	154	00	04	36
	153	00	00	28
	152	00	05	62
	Total	01	00	58
RAMPUR BHIMSEN	17	00	08	58
	43	00	10	41
	31	00	11	28
	32	00	04	47
	33	00	01	32
	118	00	00	19
	117	00	00	19
	116	00	05	43
	113	00	00	81
	114	00	09	87
	112	00	00	42
	111	00	05	21
	91	00	00	28
	79	00	05	35
	110	00	00	04
	78	00	07	67
	77	00	00	53
	75	00	06	74
	76	00	05	55
	68	00	00	19
	61	00	06	08
	59	00	24	37
	57	00	18	71
	55	00	06	26
	161	00	10	84
	162	00	00	41
	168	00	06	75
	170	00	07	94
	171	00	00	41
	173	00	09	17
	174	00	01	06
	656	00	10	92
	658	00	08	84
	659	00	00	21
	663	00	07	33
	661	00	06	01
	666	00	00	24
	668	00	16	48
	667	00	04	83
	674	00	00	22

Name of Village	Survey No.	Area		
		Hectare	Are	Sqm.
	675	00	10	60
	673	00	06	03
	676	00	00	25
	678	00	14	45
	679	00	00	22
	683	00	11	67
	684	00	00	31
	685	00	04	53
	686	00	16	86
	741	00	09	41
	738	00	05	72
	740	00	00	31
	742	00	00	30
	749	00	16	38
	751	00	00	33
	753	00	10	27
	754	00	23	21
	562	00	04	05
	561	00	00	85
	980	00	03	46
	981	00	01	35
	984	00	02	78
	986	00	05	37
	987	00	05	15
	989	00	03	01
	991	00	07	97
	992	00	00	46
	993	00	00	27
	994	00	12	35
	1002	00	03	49
	1001	00	10	32
	1019	00	07	29
	1018	00	00	33
	1017	00	06	71
	1029	00	10	61
	1031	00	01	65
	1030	00	00	62
	Total	04	50	55

[F. No. R-11025(15)/6/2020-OR-1/E-33882]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.